

संख्या- विधि-4(2) / अधिनियम / निम्न/2375 / 1516062 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : 28 जनवरी , 2016

समस्त एडीशनल कमिशनर /

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/(कार्पोरेट सर्किल)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नोवर) नियमावली 1957 के नियम 12(7) में निम्न प्राविधान किये गये हैं :-

Rule 12 (7)

" The declaration in Form C or Form F or the certificate in Form E-I or Form E-II **shall be** furnished to the prescribed authority within three months after the end of the period to which the declaration or the certificate relates:

Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit."

स्पष्टतः उक्त प्राविधान के अनुसार प्रश्नगत फार्म/प्रमाण पत्र संगत अवधि की समाप्ति के तीन माह के अन्दर जमा किया जाना अनिवार्य है । इसी नियम के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण के फार्म सी/एफ/ई-1/ई-2 जमा करने से रोक दिया है तो इन फार्मों को दाखिल करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समय बढ़ाया जा सकता है ।

उक्त संदर्भ में ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में फार्म दाखिल कराये जा रहे हैं और न ही समयावधि बढ़ाने के प्रार्थनापत्र में संबंधित संव्यवहारों का विवरण एवं फार्मों के दाखिल न हो पाने का कारण ही उपलब्ध रहता है । कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी प्रार्थनापत्रों के संबंध में या तो निर्णय ही नहीं लिये जाते हैं या बिना उचित कारणों के उल्लेख के प्राप्त प्रार्थनापत्र में ही समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले लिया जाता है ।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बिक्रीकर उत्तर प्रदेश नियमावली के नियम - 5 के प्राविधान के अनुसार बिक्री के रिटर्न (फार्म-1) के साथ पंजीकृत व्यापारियों को किये गये केन्द्रीय संव्यवहारों की सूची को संलग्न किये जाने की घोषणा किया जाना अनिवार्य है । इसके लिए फार्म 1 पर निम्न घोषणा की व्यवस्था है :-

Delectation

I enclose with this return a signed list of the-

(1) Sales made to-

- (a) Government, in respect of which concession is being claimed under section 8 (1) (a) of The Act;
- (b) registered dealers, in respect of which concession is being claimed under section 8(1) (b) of the Act;
- (c) registered dealers, in respect of which exemption is being claimed under section 6 (2) of the Act.

- (2) Dispatches made to any other place(s) of business or principal(s) or agents(s) outside the State in respect of which exemption is being claimed under section 6-A of the Act.
- (3) The original copies of the declarations and certificates so far received by me in respect of the aforesaid sales / dispatches are also enclosed herewith, along with separate detailed list in respect of each category of declaration and certificate.
- (4) I.....proprietor of the business/partner/manager of firm/director/ managing agent/principal officer of company, incorporated under the companies Act/Karta of the Hindu undivided family/principal officer managing the business of club, association or society/guardian of minor/trustee of trust/duly authorized agent of the dealer under his written authority/an officer duly authorized by the Government do hereby declare and verify that to the best of my knowledge and belief, the above statement is true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Place.....

Date.....

Signature.....

Status.....

उक्त घोषणा न करने अथवा संबंधित सूची संलग्न न करने पर संबंधित रिटर्न अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण रिटर्न होने के आधार पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि अधिकांश रिटर्नों में यह सूचियाँ संलग्न नहीं की जा रही हैं और इस प्रकार के दाखिल किये गये रिटर्नों पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय बिक्री की आड़ में करावचन की संभावना भी बनी रहती है।

उपरोक्त संदर्भ में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- (1) यह सुनिश्चित किया जाए कि फार्म सी/एफ/ई-1/ई-2 निर्धारित समय अवधि में दाखिल हो।
- (2) यदि फार्मों को दाखिल करने के लिये समयावधि बढ़ाये जाने की मांग की जाती है, तो प्रार्थनापत्रों में पर्याप्त कारण उल्लिखित हों तथा प्रार्थनापत्र के साथ अप्राप्त फार्म से संबंधित निम्न विवरण भी उपलब्ध हों :-
 - (i) क्रेता का नाम व पता
 - (ii) क्रेता का टिन नं०
 - (iii) वस्तु का नाम
 - (iv) मात्रा
 - (v) मूल्य
 - (vi) बिल नं०/तिथि
- (3) प्रार्थनापत्र पर स्पष्ट आदेश किये जायें तथा एक बार में एक त्रैमास से अधिक का समय न दिया

जाए।

- (4) यदि एक त्रैमास का समय दिये जाने के बाद भी पुनः समय दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो ऐसे प्रार्थनापत्र पर अत्यन्त विशेष परिस्थिति में पर्याप्त व उचित कारण होने पर ही पुनः समय दिया जाए तथा इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों जिनमें एक त्रैमास से अधिक का समय दिया गया है, की सूची माह के अन्त में कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) को उपलब्ध कराई जाए।
- (5) यदि रुपपत्र-1 के साथ रिटर्न में की गयी घोषणा के अनुरूप पंजीकृत व्यापारी को की गयी बिक्री / स्टॉक ट्रांसफर प्रपत्र हस्तान्तरण के माध्यम से बिक्री / SEZ को की गयी बिक्री की सूचियाँ संलग्न नहीं है तो उन रिटर्नों को अपूर्ण मानते हुए नियमानुसार वॉछित विधिक कार्यवाही की जाए।
- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ०५०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र०।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र०।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०अ०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि०/असि०कमि०(30न्या०कार्य०)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, 30प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री राम किशोर अग्रवाल, सलाहकार वाणिज्य कर, 30प्र०।

- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (42) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (46) श्री पी०एस० जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर०डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा० निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्डो एसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (52) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेल्फेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०पा० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ० प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।

- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशेन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स ,आर - 13/24, राजनगर , गाजियाबाद ।
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।
(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।
(82) श्री संजय कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स, सिंघानिया भवन, हुमायुँपुर दक्षिणी दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर ।
(83) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ /जिला कार्यालय डी-120, सेक्टर 10, नोएडा ।
(84) श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, जनरल सेक्रेटरी, यू0पी0टैक्स बार एसोसिएशन, 5/45 Ordely Bazar, वाराणसी


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ